श्यामशक्ति मण्डल बनाम रामकुमार केडिया प्र.नं. 19/13

दिनांक	आज्ञा पत्र	
22.4.24	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांट पंच रेस्पोडेंट के रजिस्टर्डड नोटिस अदा कर पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 18.7.24 को, पेश हो।	
18.7.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप। रेस्पो. 2,3 के नोटिस बाद तामील प्राप्त। रेस्पो. 1 का नोटिस रजि. एडी पेश करे। पेश होने पर जारी हो। बाबत तलबी दिनांक 4.9.24 को पेश हो।	
4.9.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप। रेस्पो. 1 का नोटिस रजि. एडी से भिजवाये गये थे जो [illegible] आये ये नहीं बाद तामील [illegible] आये। [illegible] तामील मानी जाती है। बाबत बहस दिनांक 19.9.24 को पेश हो।	
19.9.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप। बाबत बहस दिनांक 1.10.24 को पेश हो।	
1.10.24	पत्रावली पेश। बहस वकील अपीलांट सुनी गई। पत्रावली बाद आदेश दिनांक 10.10.24 को पेश हो	
10/10/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट रिमाण्ड की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तरतीव तकमील दाखिल दफतर हो।	सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 78 / 2023

1 श्री श्याम शक्ति मण्डल कोटपूतली जरिये कोषाध्यक्ष भीखाराम सैनी पुत्र बंशीलाल सैनी निवासी मोहल्ला बाछूड़ी संस्कृत स्कूल के पास कोटपूतली।

अपीलांट

बनाम

1 रामकुमार केड़िया चेरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद जरिये ट्रस्टी संजय महावीर प्रसाद केड़िया पुत्र श्री महावीर प्रसाद केड़िया निवासी 461 / 12 पारसी चाल मस्कती मार्केट के सामने साकर बाजार कालूपुर अहमदाबाद।

2 पटवारी हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।

3 तहसीलदार दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर प्रकरण संख्या 273 / 2022 दावा उनवानी रामकुमार केड़िया चेरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद आदि बनाम श्री श्याम शक्ति मण्डल कोटपूतली आदि दिनांकित 04.05.2023

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 79/2023

1 श्री श्याम शक्ति मण्डल कोटपूतली जरिये कोषाध्यक्ष भीखाराम सैनी पुत्र वंशीलाल सैनी निवासी मोहल्ला वाछूड़ी संस्कृत स्कूल के पास कोटपूतली।

अपीलांट

वनाम

1 रामकुमार केड़िया चेरिटेवल ट्रस्ट अहमदावाद जरिये ट्रस्टी संजय महावीर प्रसाद केड़िया पुत्र श्री महावीर प्रसाद केड़िया निवासी 461/12 पारसी चाल मस्कती मार्केट के सामने साकर वाजार कालूपुर अहमदावाद।

2 पटवारी हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।

3 तहसीलदार दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं अन्तिम डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर प्रकरण संख्या 273/2022 दावा उनवानी रामकुमार केड़िया चेरिटेवल ट्रस्ट अहमदावाद आदि वनाम श्री श्याम शक्ति मण्डल कोटपूतली आदि दिनांकित 12.05.2023

भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 10.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 273/2022 में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 2042, 2043 वाके ग्राम खाटूश्यामजी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक व अंतिम डिक्री प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत जारी कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किये गये वाद पत्र में से भूमि खसरा नम्बर 2042 रकबा 0.44 हैक्टेयर की किस्म आबादी होने के कारण अपीलाधीन वाद ही प्रथम दृष्टया विचारण न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र का नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री अपीलाधीन वाद के वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की सहमति के आधार पर जारी किया जाना अंकित है। पत्रावली की आदेशिका

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के अनुसार पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में कैम्प गोवटी में पेश होना अंकित है, जबकि सन 2023 में प्रशासन गांवों के संग अभियान नाम से अभियान नहीं चलाया जाकर महंगाई राहत कैम्प आयोजित किया गया था जिसमें राज्य सरकार द्वारा राजीनामा के जरिये राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किये जाने का कोई निर्देश नहीं था। इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के वकील श्री सत्यवीर राड़ एडवोकेट के सहमति स्वरूप किये गये हस्ताक्षरों (जबकि अपीलांट द्वारा वकील सत्यवीर राड़ को ऐसी सहमति देने हेतु अधिकृत भी नहीं किया गया था) को आधार बताकर अवैध रूप से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प गोवटी में पारित किया गया अंकित करते हुए अवैध रूप से अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई जो कतई विधि विरूद्ध होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है, प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। विधि एवं नियमानुसार सहमति स्वरूप प्रकरण का निस्तारण तक ही किया जा सकता है जब प्रकरण के समस्त पक्षकारान द्वारा सहमति का राजीनामा जो सभी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित हो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावे जिसे न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया जावे तथा दोनों पक्ष राजीनामें को स्वीकार करें तब राजीनामा तस्दीक किया जाकर निर्णय पारित करना होता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं अन्तिम डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित की जाना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में अंकित किया गया है वह बंटवारा प्रस्ताव न तो अपीलाधीन वाद में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अनुरूप है तथा न ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा बंटवारा निमित बनाये गये नियम 18 से 21 के अनुरूप है। बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 12.05.2023 को ही बनाया जाना अंकित है, जिस पर महंगाई राहत कैम्प प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 की मोहन लगी हुई है उसी दिन अपीलाधीन निर्णय एवं अन्तिम डिक्री उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित किया जाना अंकित है। उक्त बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में अथवा उनको सूचित करके तैयार किया गया हो, यह भी प्रमाणित नहीं है तथा नही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किया गया। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किये गये वाद पत्र में से भूमि खसरा नम्बर 2042 रकबा 0.44 हैक्टेयर की किस्म आबादी होने के कारण अपीलाधीन वाद ही प्रथम दृष्टया विचारण न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र का नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री अपीलाधीन वाद के वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की सहमति के आधार पर जारी किया जाना अंकित है। पत्रावली की आदेशिका के अनुसार पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में कैम्प गोवटी में पेश होना अंकित है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा राजीनामा के जरिये राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किये जाने का कोई निर्देश नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के वकील श्री सत्यवीर राड़ एडवोकेट के सहमति स्वरूप किये गये हस्ताक्षरों को आधार बताकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प गोवटी में पारित किया गया। विधि एवं नियमानुसार सहमति स्वरूप प्रकरण का निस्तारण तक ही किया जा सकता है जब प्रकरण के समस्त पक्षकारान द्वारा सहमति का राजीनामा जो सभी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित हो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावे जिसे न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया जावे तथा दोनों पक्ष राजीनामें को स्वीकार करें तब राजीनामा तस्दीक किया जाकर निर्णय पारित करना होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के सहमति के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलांट द्वारा अधिवक्ता को सहमति के लिए अधिकृत किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं अन्तिम डिक्री जिस विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्ताव के आधार पर पारित की जाना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में अंकित किया गया है वह बंटवारा प्रस्ताव न तो अपीलाधीन वाद में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अनुरूप है तथा न ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा बंटवारा निमित बनाये गये नियम 18 से 21 के अनुरूप है। बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 12.05.2023 को ही बनाया जाना अंकित है, जिस पर महंगाई राहत कैम्प प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 की मोहर लगी हुई है उसी दिन अपीलाधीन निर्णय एवं अन्तिम डिक्री उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित किया जाना अंकित है। उक्त बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में अथवा उनको सूचित करके तैयार किया गया हो, यह भी प्रमाणित नहीं है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर